दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

दिनांक 30/07/2015

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 29/07/2015 का कार्यवृत्त

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस.एस. शुक्ला	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 लाल जी त्रिपाठी	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ला	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
6.	प्रो0 अजंनी कुमार सिंह	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
7.	डॉ0 महेश्वर सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8.	डॉ0 मालविका श्रीवास्तव	उपाचार्य, वनस्पति विभाग	सदस्य
9.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग	सदस्य
10.	डॉ0 नरेन्द्र प्रकाश राय	प्राचार्य, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर	सदस्य
11.	श्री अशोक कुमार अरविन्द	कुलसचिव	सदस्य
12.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
13.	प्रो0 अजेय गुप्ता	प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल	विशेष आमंत्रित

कार्यवृत्त

1 (क) वार्षिक परीक्षा 2014–15 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में परीक्षा के समय विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्रों में संयोजक उड़ाका दल द्वारा प्रदत्त सामूहिक नकल की रिपोर्ट के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर विभागीय समिति द्वारा दी गयी आख्या/संस्तुतियों पर विचार–

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि–

i. सामूहिक नकल के आरोप से मुक्त महाविद्यालयों के सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के सम्बन्धित प्रश्नपत्र का तत्काल परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

ii. सामूहिक नकल में आरोपसिद्ध महाविद्यालयों से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के सम्बन्धित प्रश्नपत्र में प्राप्तांक के 30 प्रतिशत अंकों की कटौती कर ली जाय।

iii. आरोपित महाविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाय कि क्यों न आप के महाविद्यालय को अगले वर्ष परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से डिबार कर दिया जाय।

iv. सामूहिक नकल तथा व्यक्तिगत नकल से सम्बन्धित अद्यतन निमावली बनाने हेतु एक समिति का गठन किया जाय जो अर्थदण्ड व केन्द्र डिबार आदि प्रकरण पर भी विचार करें, जो आगामी वर्ष से लागू होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

i. प्रो0 पी0सी0 शुक्ला अधिष्ठाता–वाणिज्य संकाय–संयोजक।
ii. प्रो0 अरविन्द कुमार मिश्र–अध्यक्ष विधि विभाग।
iii. प्रो0 अजेय गुप्ता–प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल।
iv. डॉ0 नरेन्द्र प्रकाश राय–प्राचार्य, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर।

(ख) एल0एल0बी0 भाग एक (प्रथम सेमेस्टर) वर्ष 2014–15, परीक्षा केन्द्र पी0डी0 लॉ कालेज, खलीलाबाद, संतकबीरनगर के अनुक्रमांक 7674270115, कैच संख्या–145 तथा अनुक्रमांक 7674270238, कैच संख्या–147 की दो उत्तर पुस्तिकाएं, बण्डल से प्राप्त हैं किन्तु उपस्थिति प्रपत्र पी–7 पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं है। विभागाध्यक्ष, विधि विभाग ने प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत परीक्षा समिति में रखकर निस्तारित करने की संस्तुति की है, के क्रम में विचार–

विवरण–

क्र.सं.	अनुक्रमांक	उ0पु0 पर छात्र का हस्ताक्षर	कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर	पी–7 पर छात्र का हस्ताक्षर
1.	7674270115	है (स्टीकर लगा है)	नही है।	नहीं है
2.	7674270238	है (स्टीकर लगा है)	हस्ताक्षर है।	नहीं है

निर्णय–समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त पी–7 पर सम्बन्धित छात्र के हस्ताक्षर न होने के प्रकरण को गम्भीर, संदिग्ध एवं अनियमित मानते हुए सम्बन्धित प्रश्नपत्र में अनुपस्थित मानकर परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया।

(ग) माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–(सिविल मिस0) 36851/2015 सहेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में श्री सहेन्द्र प्रताप अनुक्रमांक 31417 वर्ष–1982, बी0एस–सी0 भाग–2, स्वामी दयानन्द पी0जी0 कालेज, गठलार के प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में विचार–

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

निर्णय— समिति ने सर्वप्रथम इस प्रकरण को विस्तृत में जानना चाहा जिसके क्रम में अवगत कराया गया कि—

प्रभारी, अभिलेख कक्ष ने श्री सहेन्द्र प्रताप के प्रमाणपत्रों के सत्यापन के क्रम में अपनी आख्या में अवगत कराया है कि विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका में उक्त अनुक्रमांक वाला पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। सारणीयन पंजिका में अंकित विवरणानुसार अनुक्रमांक 31291 से 31410 तक का ही अनुक्रमांक का विवरण उपलब्ध है जबकि विश्वविद्यालय से तत्समय अनुक्रमांक 31291 से 31417 अनुक्रमांक तक के अंक—विवरण जारी हैं। विश्वविद्यालय की मूल सारणीयन पंजिका समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 136/प0नि0का0/2015 दिनांक 17/07/2015 द्वारा विशेष वाहक द्वारा प्राचार्य स्वामी देवानन्द पी0जी0 कालेज मठलार को सम्बन्धित सारणीयन पंजिका की मूल व प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया था, जिसके क्रम में उनके कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सारणीयन पंजिका समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें मात्र अनुक्रमांक 31321 से 31410 तक के अनुक्रमांक का अंक विवरण एवं छः पुर्नमूल्यांकन के अनुक्रमांक का अंक—विवरण है। साथ ही पृष्ठ के उपर जहाँ अनुक्रमांक का क्रम अंकित है, वहाँ अनुक्रमांक 31291 से 31417 की जगह अनुक्रमांक 31291 से 31410 दर्ज है। जिसमें 31417 में '7' की जगह '0' बाद में बनाया गया है, समिति ने इसे भी सज्ञान में लिया।

श्री सहेन्द्र प्रताप को विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 144/प0नि0का0/2015 दिनांक 25/07/2015 द्वारा अभिलेखों के साथ—साथ स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ तीन दिन के अन्दर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में श्री सहेन्द्र प्रताप दिनांक 27/07/2015 को परीक्षा नियंत्रक कक्ष में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अवगत कराया कि वे अपनी मूल अंकतालिका व उपाधि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपने वकील को दिये हैं, अतः एक सप्ताह के अन्दर उपाधि की प्रमाणित प्रति (जिसकी दोनो तरफ की छाया प्रति हो) प्रस्तुत कर दूंगा।

पुनः प्राचार्य को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या—143/प0नि0का0/2015 दिनांक 25/07/2015 द्वारा बी0एस—सी0 द्वितीय वर्ष——1982 के प्रयोगात्मक पर्ण, पी0—7, नामांकन रजिस्टर की छायाप्रति फीस रसीद की प्रति उपलब्ध करावें, जिससे कि इनका बी0एस—सी0 द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण होना या न होना प्रमाणित होता है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि श्री सहेन्द्र प्रताप का विश्वविद्यालय के नामांकन अभिलेख के अनुसार नामांकन संख्या—यू0यू04277 प्रमाणित है एवं बी0एस—सी0—प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना भी प्रमाणित है।

समिति ने सम्यक विचारोपरान्त श्री सहेन्द्र प्रताप द्वारा प्रदत्त समस्त अभिलेखों के जांच/परीक्षण हेतु, प्राचार्य, स्वामी देवानन्द पी0जी0 कालेज, मठलार से इस सन्दर्भ में पूरा विवरण लिखित प्राप्त करने तथा उनका भी मत जानने/पक्ष सुनने तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखों का परीक्षण/अनुशीलन कर अपनी आख्या शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु दो सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया जिसमें निम्न सदस्य होंगे—

- I. प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अधिष्ठाता विधि संकाय।
- II. डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक।

<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार—</u>

1. प्री—पी0एच—डी0 परीक्षा वर्ष—2014, शीघ्र कराने पर विचार।
   निर्णय—जिन विभागों से परीक्षा हेतु अग्रसारित सूची प्राप्त हो गयी है उनके समस्त छात्रों की प्री—पी0एच—डी0 परीक्षा—2014 मध्य अगस्त, 2015 से कराने हेतु निर्णय लिया गया।
2. बी0पी0एड0 सत्र 2013—14 की आगामी परीक्षा कराये जाने पर विचार।
   निर्णय— माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बी0पी0एड0 वर्ष 2013—14 में प्रवेश समिति द्वारा प्रदत्त अर्ह छात्रों की परीक्षा विश्वविद्यालय केन्द्र पर सम्पन्न कराने हेतु निर्णय लिया गया।
3. विश्वविद्यालय के परीक्षा गोपनीय अनुभाग में रखे पुराने पर्ण को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने पर विचार—
   निर्णय—परीक्षा गोपनीय अनुभाग में रखे पुराने पर्ण को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर उनकी सूची, विवरण रजिस्टर पर दर्ज करके, आलमारी क्रमांक के अनुसार संरक्षित करने व आवश्यकतानुसार छाया प्रति रखने हेतु कुछ मजदूर व परीक्षा गोपनीय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं दो लिपिक को इस हेतु लगाने हेतु निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय कर्मियों को इसके लिए अतिरिक्त मानदेय देने पर सहमति दी गयी।
4. अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं निस्तारण पर विचार।
   निर्णय—समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अनुचित साधन प्रयोग में अबतक मूल्यांकित न हो पाये उत्तर पुस्तिकाओं को विभाग में भेजकर मूल्यांकन करा लिया जाय एवं निस्तारण की कार्यवाही दिनांक 14/08/2015 तक पूर्ण करा लिया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुयी।